scan0211.jpg

[illegible]/2018

संख्या-8/2018/वी0आई0पी0 58/सत्तर-1-2018-16(20)/2011

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2018

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि महाविद्यालयों में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों में उनकी आवश्यकता, उनमें उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों आदि की उपलब्धता का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण करते हुये परिनियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार वर्ष 2018-19 हेतु सीट वृद्धि के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही कराने का कष्ट करें। प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं तत्क्रम में निर्गत पूर्व शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मधु जोशी
विशेष सचिव।

संख्या-8/2018/वी0आई0पी0 58 (1)/सत्तर-1-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, माननीय कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
हरेन्द्र कुमार सिंह
अनु सचिव

Agency 20/8/18
P/ upload on University website.
6/9/2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner